न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
इजलाश श्री **कैलाश चन्द गूर्जर** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 23/2023

प्रशांत गोस्वामी पुत्र श्याम सुन्दर गोस्वामी जाति ब्राह्मण निवासी कोसी रोड,कामां, तहसील कामां, जिला डीग, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह
2. कुमर
3. हरिया } पिसरान रघुवीर
4. परमा पुत्र रघुवर
5. कृपा पत्नी शिब्बो
6. केशरी
7. डोरीलाल } पिसरान शिब्बो
8. बीरबल पुत्र रघुनाथ
9. भम्वल
10. भंवर सिंह
11. मोहन सिंह
12. लक्खो } पिसरान किशन जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम इन्द्रौली, तहसील कामां, जिला डीग, राजस्थान

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 01.02.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 386/0.05 हैक्टर बांके ग्राम इन्द्रौली, तहसील कामां में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का काश्तकार काबिज है। उक्त आराजी मुतनाजा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया है। आराजी खसरा नम्बर 386/0.05, 387/0.05 हैक्टर ग्राम इन्द्रौली का पूर्व में एक ही साविक खसरा नम्बर था जिसके बन्दोबस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर कायम कर दिये। खसरा नम्बर 386/0.05 हैक्टर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और खसरा नम्बर 387/0.05 हैक्टर के अप्रार्थीगण खातेदारान काश्तकार है। मौके पर खसरा नम्बर 386/0.05, 387/0.05 हैक्टर का एक ही नम्बर है। परन्तु बन्दोबस्ती नक्शा में दोनो नम्बर अलग–अलग है मौके पर खसरा नम्बर 386/0.05, 387/0.05 हैक्टर बीच की मेड का सीमांकन नहीं है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 386/0.05 की पैमाईश कराने के लिये तहसीलदार कामां के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 28.04.2023 को पैमाईश आदेश हो गये। पटवारी हल्का मुताबिक पैमाईश आदेश के दिनांक 13.05.2023 को मौके पर ग्राम इन्द्रौली पहुंचा और जरीव चलाकर मौके पर पैमाईश की खसरा नम्बर 387 के सहखातेदारान द्वारा पैमाईश को करने में रूकावल पैदा की परन्तु लोगो द्वारा समझाने पर मान गये और पैमाईश हो गई मौके के निशानात कायम करते समय अप्रार्थीगण ने निशानात कायम नहीं करने दिये उक्त पैमाईश से पडौसी काश्तकार पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हुये। आराजी खसरा नम्बर 386/0.05 हैक्टर बांके ग्राम इन्द्रौली तहसील कामां के अप्रार्थीगण पडौसी खसरा नम्बर 387/0.05 के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जिन्हें मुकदमा में पक्षकार बनाया गया है। तथा पुनः पैमाईश व पत्थर गढी के समय मौके पर होना आवश्यक है। प्रार्थी का मौके पर रकबा कम है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खसरा नम्ब्र 386/0.05 हैक्टर बांके ग्राम इन्द्रौली तहसील कामां की पुनः पैमाईश कराकर मौके पर पत्थर गढी कराना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गल धारा 128 एल.आर. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 386/0.05 हैक्टर बांके ग्राम इन्द्रौली तहसील कामां की पैमाईश व पत्थर गढी तहसीलदार कामां से कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी जूद सूचना के उपस्थित नहीं आये एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर गैर सायलान को अनुपस्थित किया । ।

प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी सं0 2074–77, मौका रिपोर्ट दिनांक .5.2023, नक्शा ,पेश किया है ।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 386 /0.05 हैक्टर वाके ग्राम इन्द्रोली तहसील कामां के अप्रार्थीगण पडौसी खसरा नम्बर 387/0.05 के खातेदार काश्तकार बनाया गया है तथा पुनः पैमाइश व पत्थरगढी के समय मौके पर होना आवश्यक है । मेरा रकवा कम है मै प्रार्थी अपने खातेदारी के खसरा नम्बर 386 .05 हैक्टर वाके ग्राम इन्द्रोली तहसील कामां की पुनः पैमाइश कराकर कर मौके पर तहसीलदार कामां के द्वारा पत्थर गढी करायी जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तोवजो का मनन किया गया । बहस एक पक्षीय सुनी गयी । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम को स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कामां को मौके पर पुलिस जप्ता के साथ पैमाइश कर पत्थर गढी कराई जाने हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 1.02.2024 को पढकर सुनाया गया ।

मजिस्ट्रेट एव उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०